

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 08.11.2023

55 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 02 कि०ग्रा० यूरिया व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा मादक पदार्थों के उत्पादन एवं क्रय-विक्रय से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक मय थाना खजनी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजेश साहू पुत्र स्व० रुपन साहू निवासी ग्राम बंजार किस्को थाना लोहरदग्गा जनपद लोहरदग्गा झारखण्ड हाल पता मटेल्स का भट्टा ग्राम हरदीडीह थाना खजनी जनपद गोरखपुर को 55 लीटर अवैध अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 02 कि०ग्रा० यूरिया व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 408/2023 धारा 60(1), 60(2) आब० अधि० व 272, 273 भादवि पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

बृजलाल यादव पुत्र स्व० रामदुलारे यादव निवासी ग्राम मरवटिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 408/2023 धारा 272/273 भादवि० 60(1), 60(2) आबकारी अधिनियम थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. शराब बनाने वाला उपकरण
2. यूरिया 2 कि०ग्रा०
3. 55 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. आबकारी निरीक्षक उपेन्द्र सिंह मय टीम जनपद गोरखपुर
2. का० राहुल गुप्ता थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का० धर्मेन्द्र यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर